

अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 29 विभाग और 42 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹89,939 करोड़ के कुल बजट अनुमानों के प्रति ₹89,624 करोड़ का व्यय था। वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों और उसके प्रति वास्तविक की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-1.1: वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	12,228	11,403	12,923	12,039	14,895	13,675	16,445	15,110	17,314	16,888
सामाजिक सेवाएं	7,096	7,896	9,114	8,501	11,416	11,331	13,028	11,564	13,909	13,117
आर्थिक सेवाएं	8,293	7,759	9,466	8,789	10,886	11,414	13,095	13,138	12,659	10,911
सहायता अनुदान ¹ एवं अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (1)	27,617	27,058	31,503	29,329	37,197	36,420	42,568	39,812	43,882	40,916
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	7,308	4,507	10,221	5,134	12,685	7,331	16,904	8,286	22,126	10,353
संवितरित ऋण और अग्रिम	133	121	71	87	93	94	91	76	569	25
सार्वजनिक ऋण ² की चुकौती	1,231	4,147	8,412	8,549	8,812	10,815	15,367	17,023	18,401	22,490
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण ³	3,964	14,169	3,690	17,796	3,939	24,094	5,535	19,458	4,961	15,286
अंत नकद शेष	01	1,063	-	1,401	-	527	-	429	-	554
जोड़ (2)	12,637	24,007	22,394	32,967	25,529	42,861	37,897	45,272	46,057	48,708
कुल जोड़ (1+2)	40,254	51,065	53,897	62,296	62,726	79,281	80,465	85,084	89,939	89,624

(स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और वित्त लेखे)

¹ राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को उपर्युक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

² अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत संव्यवहारों सहित

³ वास्तविक में रोकड शेष और विभागीय रोकड शेष के निवेश के संव्यवहारों को शामिल नहीं किया है।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

राज्य के कुल व्यय⁴ में 2013-18 के दौरान ₹31,686 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी, जबकि राजस्व व्यय में 2013-14 में ₹27,058 करोड़ से 2017-18 में ₹40,916 करोड़ तक 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान अनियोजित/ सामान्य राजस्व व्यय में ₹25,219 करोड़ से ₹38,416 करोड़ तक 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में ₹4,507 करोड़ से ₹10,353 करोड़ तक 130 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का 80 से 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का 15 से 20 प्रतिशत शामिल था।

1.3 निरंतर बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान 10 मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की और कुल अनुदान के 10 प्रतिशत या अधिक तक निरंतर बचत देखी गई जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: 2013-18 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत)						
1.	10- कानून विभाग	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)	154.33 (42)
2.	11- उद्योग और वाणिज्य विभाग	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)	68.16 (22)
3.	21- वन विभाग	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)	116.66 (61)
राजस्व (प्रभारित)						
4.	10- कानून विभाग	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)	4.06 (11)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5.	06- विद्युत विकास विभाग	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2,177.61 (76)	5,591.27 (89)
6.	12- कृषि विभाग	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)	333.92 (37)

⁴ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण शामिल किए गए हैं।

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
7.	17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)	282.43 (36)
8.	19- आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)	519.54 (53)
9.	25- श्रम, स्टेशनरी तथा मुद्रण विभाग	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)	100.74 (84)
10.	28- ग्रामीण विकास विभाग	185.13 (48)	1,104.58 (60)	496.79 (38)	798.19 (42)	541.36 (23)

(स्रोत: विनियोजन लेखे)

(टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल अनुदान का बचत प्रतिशत दर्शाते हैं।)

राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (दिसंबर 2018)।

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियां

भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट में डाले बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (संस्थानों, निगमों, समितियों, इत्यादि) को ₹1,105 करोड़ (परिशिष्ट-1.1.1) सीधे हस्तांतरित किए थे। इसके परिणामस्वरूप यह राशि वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वार्षिक लेखों (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रह गई।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ⁵
अनियोजित अनुदान	4,009	3,343	11,135	12,776	-
केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य नियोजन योजनाओं हेतु अनुदान/ केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	9,008	12,720	4,365	7,766	9,096

⁵ उप-मुख्य शीर्ष: 'अनियोजित अनुदान'; 'राज्य/ केंद्र शासित नियोजित योजना हेतु अनुदान'; 'केंद्र नियोजित योजना हेतु अनुदान'; 'केंद्र प्रायोजित नियोजित योजनाओं हेतु अनुदान' तथा विशिष्ट नियोजित योजना हेतु अनुदान तथा लघु शीर्ष अप्रैल 2017 से उनके अंतर्गत संव्यवहारों हेतु कार्यशील नहीं। (संदर्भ: वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली की शोधन पर्ची सं. 829 दिनांकित 06.01.2017)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केंद्र के लिए तथा केंद्रीय प्रायोजित नियोजन योजना	826	87	1,228	56	-
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	11,849
अन्य हस्तांतरण/ राज्यों को अनुदान	-	-	-	-	620
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	1,137
कुल	13,843	16,150	16,728	20,598	22,702
पिछले वर्ष में वृद्धि/ कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 4	17	4	23	10
राजस्व प्राप्तियां	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
राजस्व प्राप्तियों से कुल अनुदानों की प्रतिशतता	51	56	47	49	47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान में वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान ₹13,843 करोड़ से ₹22,702 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है जिसमें कार्यकलापों की महत्वपूर्णता/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों और हितधारकों की चिंताओं और पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की निरंतरता और सीमा पर निर्णय लिया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट एक माह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ कार्यालय अध्यक्ष को जारी की जाती है। उत्तर प्राप्त होने पर या तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष का निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए निष्कर्ष राज्य सरकार के संव्यवहारों की नमूना जांच पर आधारित होते हैं। अतः यह अनुशांसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे सरकारी विभागों में भी विशेष रूप से दर्शाए गए मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर के कार्यालय द्वारा 2017-18 के दौरान राज्य के 899 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 11 स्वायत्त निकायों की 70 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था। इसके अलावा, तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं⁶ का भी संचालन किया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में, जिनका विभागों के कार्यक्रमों एवं कार्यप्रणाली की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है, आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों को सूचना दी है। नागरिकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने और सेवा सुपुर्दगी सुधारने के लिए कार्यपालक को उचित अनुशंसायें करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं के लेखापरीक्षण पर ही पूरा ध्यान था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके ध्यानाकर्षण और छः सप्ताह में उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 26 पैराग्राफों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजा गया था। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 18 पैराग्राफों के संबंध में उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों/ निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) के शीघ्रता से निपटान हेतु अनुदेशों की हस्तपुस्तिका में निर्धारित नियमों एवं कार्यविधियों का अनुपालन करते हुए उपचारात्मक/ आशोधन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी आईआर पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान किया गया है। कार्यालय अध्यक्षों और अगले उच्च अधिकारियों से आईआर में निर्दिष्ट आपत्तियों का अनुपालन करने और त्रुटियों को

⁶ (1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन, (2) सर्व शिक्षा अभियान तथा (3) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम

परिशोधित करने और उनके अनुपालन की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देने की अपेक्षा की जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर 1998-2018 की अवधि से संबंधित 11,016 आईआर में निर्दिष्ट 45,170 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और 31 मार्च 2018 को अधिशेष निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.4: 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाते ब्यौरे

क्षेत्र का नाम	आदि शेष (1 अप्रैल 2017)		वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाए गए		अंत शेष (31 मार्च 2018)	
	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या
सामाजिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	5,008	22,058	529	3,886	248	1,963	5,289	23,981
सामान्य क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	1,544	4,739	167	1,032	77	573	1,634	5,198
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	4,073	16,409	525	3,196	505	3,614	4,093	15,991
कुल	10,625	43,206	1,221	8,114	830	6,150	11,016	45,170

पैराग्राफों का बड़ी संख्या में लंबन लेखापरीक्षा हेतु सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी को दर्शाता है। सरकार को इस मामले पर विचार-विमर्श करना चाहिए और विभागों से समय बाधित तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को ठीक करना चाहिए। इसके अलावा, राज्य द्वारा लंबित आपत्तियों पर चर्चा हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया। संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाए, इसकी बैठकें आयोजित की जाएं तथा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी की जाए।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.9.1 स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत न करना

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने इस पर ध्यान दिए बिना कि इन समितियों द्वारा चर्चा की गई थी या नहीं, लोक लेखा समिति (पीएससी)/ सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में

दर्शाए गए सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किए थे। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया कि 2000-01 से 2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्याय में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 146 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वप्रेरणा से एटीएन 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.9.2 पीएसी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उनके द्वारा की गई आपत्तियों/ अनुशंसाओं पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इन आपत्तियों/ अनुशंसाओं की तिथि से छः माह के अंदर इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 245 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 सितंबर 2018 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा 223 लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित अनुशंसाओं पर चर्चा की गई है। तथापि, समितियों की अनुशंसाओं पर एटीएन 165 पैराग्राफों के संबंध में राज्य सरकार से लंबित हैं।

1.10 स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना

56 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा सीएण्डएजी के (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को सौंपी गई है। 31 मार्च 2018 तक इन स्वायत्त निकायों से कुल 801 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) और 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित दस स्वायत्त निकायों ने भी वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे, जो निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का अप्रस्तुतीकरण

क्रम.सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वर्ष संख्या में विलंब	लेखों की संख्या	2017-18 के दौरान अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद्, लेह	23	23	278.31
2.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद्, कारगिल	15	15	279.58
3.	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	09	09	शून्य
4.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	08	08	94.62
5.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	02	02	146.38
6.	ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर	12	12	शून्य
7.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य आवासीय बोर्ड	06	06	शून्य
8.	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	03	03	18.00
9.	भवन एवं अन्य निर्माण संबंधी मजदूर कल्याण बोर्ड	05	05	शून्य
10.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	03	03	6.94
	कुल		86	823.83

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद् (एलएचडीसी), लेह और एलएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। एलएचडीसी, लेह इसके आरंभ अर्थात् 1995-96 से ही लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यद्यपि परिषद् को पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा रहा है और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राज्य के लोक लेखा में गैर-व्ययगमन योग्य निधि में क्रेडिट रहा। यही स्थिति एलएचडीसी, कारगिल के संबंध में है जो 2004-05 में अस्तित्व में आई और लेखे इसके आरंभ से ही बकाया थे।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुतीकरण एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं जो वर्षों से जारी हैं। अननुपालन के मद्देनजर, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि उन सांविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है और जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था। इससे राज्य विधानमंडल ने उनके कार्यकलापों एवं वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने का अवसर खो दिया।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई समीक्षाओं और पैराग्राफों के वर्षवार ब्यौरे

पिछले दो वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के धन मूल्य सहित वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.6: 2015-17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शायी गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के ब्यौरे

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट पैराग्राफ
2015-16	3	1072.58	23	414.50	1	14
2016-17	4	3646.43	27	364.88	शून्य	5

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा निष्कर्षों में सम्मिलित धन मूल्य नमूना जांच पर आधारित था। तथापि, सरकार द्वारा दूसरे सरकारी विभागों में भी विशेष रूप से दर्शाए गए मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

इस रिपोर्ट में ₹394.13 करोड़⁷ धन मूल्य की दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 24 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए गए हैं। उत्तर जहां कहीं भी प्राप्त हुए हैं, उचित स्थान पर शामिल किए गए हैं।

⁷ दो निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹251.43 करोड़; 24 ड्राफ्ट पैराग्राफ: ₹142.70 करोड़

